न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
घनश्याम बनाम भरती मु.नं.– 09/23 किस्म – प्रा.पत्र 251ए	
15/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
09/23	28.03.23	15.04.25

1. घनश्याम पुत्र धनसीराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. दिनेश पुत्र धनसीराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. भगवान सहाय पुत्र धनसीराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. छुटल्ला पत्नी स्व. हीरालाल, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. श्रीराम पुत्र मोज्या, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. अनती पत्नी रामकिशन, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. इन्द्राज पुत्र रामहेत, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. कैलाश पुत्र किशोरी, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. नवलकिशोर पुत्र रामकिशन, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. पप्पू पुत्र किशोरी, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. पूरन पुत्र रामहेत, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. फूस्या पुत्र किशोरी,निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
8. मंगलराम पुत्र हरिराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
9. मलखान पुत्र हरिराम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
10. मिश्रीलाल पुत्र देवकिशन, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
11. राजकौर पत्नी राधेश्याम, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
12. राध्या उर्फ राधेश्याम पुत्र ख्याली, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
13. सूवा पुत्र भूरया, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
14. लवकेश पुत्र सुरेश, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
15. काडी पत्नी सुरेश, निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
16. मोनिका पुत्री सुरेश, नाबालिग जरिये माता खुद काडी पत्नी सुरेश निवासी हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
17. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित –

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 16 – श्री प्रीतमचन्द सैनी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा सं. 1100 रकबा 0.84

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हैक्टे., 1111 रकबा 0.53 हैक्टे., 1112 रकबा 0.43 हैक्टे., 1113 रकबा 0.41 हैक्टे., 1109 रकबा 0.57 हैक्टे., 1110 रकबा 0.04 हैक्टे., 941 रकबा 0.52 हैक्टे., 942 रकबा 0.78 हैक्टे., 1101 रकबा 0.05 हैक्टे., 1103 रकबा 0.01 हैक्टे., 1104 रकबा 0.30 हैक्टे. कुल किता 11 कुल रकबा 4.48 हैक्टे. ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी को आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी खसरा सं. 1173 रकबा 0.11 हैक्टे., 1184 रकबा 0.06 हैक्टे., 1204 रकबा 0.5 हैक्टे., 1182 रकबा 0.04 हैक्टे. वाके ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है। खसरा सं. 1173, 1184, 1204 में होकर डामर सडक का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया है जो कि वर्तमान में चालू है जो रास्ता ग्राम हिंगोटा से ग्राम पातरखेडा को जाता है तथा इसी डामर सडक से प्रार्थीगण की आराजी को आने जाने को रहा है, जिस रास्ते से ही प्रार्थीगण सदा से ही निकलते चले आ रहे है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की आराजी को आने जाने का नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ते के लिये खसरा सं. 1182 ही एक मात्र विकल्प है। आराजी खसरा सं. 1173, 1184, 1204 वाके ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा, भी अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमें होकर सरकारी आम रास्ता (सडक) बना हुआ है जिसमें सरकारी खर्च पर डामर सडक का निर्माण पूर्व से ही किया जा चुका है लेकिन उसके बाबजूद भी उक्त आराजी अभी तक खातेदारी अप्रार्थीगण में चली आ रही है। उसी प्रकार खसरा सं. 1182 में होकर भी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को आने जाने हेतु आम रास्ता नक्शा ट्रेस में बना हुआ है तथा मौके पर भी चालू है लेकिन उक्त आराजी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से अप्रार्थीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते रहते है तथा कहते है कि खसरा सं. 1182 हमारे खातेदारी का नम्बर है, हम जिस दिन चाहेगे, उसी दिन उक्त खसरा सं. में होकर जाने वाले रास्ते को बन्द कर देगें तथा तुम्हें निकलने नहीं देगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि प्रार्थीगण की आराजी को आने जाने का एक मात्र इसी खसरा सं. 1182 में होकर रास्ता है, अन्य किसी भी भूमि में होकर रास्ता नहीं है। दिनांक 27.02.23 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में उक्त रास्ता खसरा सं. 1182 में होकर निकल रहे थे कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें हमारे खातेदारी के खेत खसरा सं. 1182 में होकर नहीं निकलने देगे तथा उक्त रास्ता को पुखता दीवार कर बन्द कर देगें तथा आराजी को अपनी भूमि में मिला लेंगे। यदि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण ने खसरा सं. 1182 रकबा 0.04 हैक्टे. में से रास्ता बन्द कर दिया ती प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में काश्त हेतु बुबाई जुताई नहीं हो पायेगी जिससे प्रार्थी बर्बाद हो जायेंगे। इसलिये कानूनन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी, अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1182 रकबा 0.04 हैक्टे. की भूमि में होकर 20 फुट चौडाई का खसरा सं. 1204 से खसरा सं. 1112, 1111 तक की लम्बाई का रास्ता प्रार्थीगण को दिलाये जाने की कृपा करे। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को डी.एल.सी. रेट से न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की कीमत जमा कराने को तैयार है। अप्रार्थीगण खातेदार सुरेश पुत्र देवकिशन जाति मीना की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उनके वारिसान के नाम अभी तक नामान्तकरण नहीं खुला है लेकिन मृतक के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण सं. 14, 15 व 16 के रूप में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इस हेतु आदेशित किया गया है कि किसी भी किसान को आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसे रास्ता उपलब्ध कराया जावे जबकि अप्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 1182 जो कि नक्शा ट्रेस में भी रास्ते के रूप में ही उसका अंकन है तथा मौके पर भी रास्ता बना हुआ है जिसे अप्रार्थीगण अब बन्द कर देना चाहते है। इस कारण उन्हें रोका जाना एवं प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी को आने जाने हेतु खसरा सं. 1182 में होकर रास्ता दिलवायें तथा उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने की कृपा करें। इस हेतु आवश्यकतानुसार तहसीलदार बैजूपाडा से मौका रिपोर्ट मंगवा कर मौके के अनुसार डी.एल.सी. की राशि विधि अनुसार जमा करवा कर प्रार्थीगण के रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 16 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया जाकर कथन किया कि प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि उनकी आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी खसरा सं. 1173, 1184, 1204, 182 में होकर रहा है क्योंकि प्रार्थीगण आज से पूर्व भी वर्ष 1997 में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष एक मुकदमा संख्या 52/97 बाबत इस्तकरारहक सुखाचार बाबत रास्ता प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बांदीकुई द्वारा दिनांक 10.04.2008 को अन्तरिम रूप से फैसल फरमा दिया गया है जिसमें न्यायालय ने माना है कि वादी स्वयं ने भी अपने बयानों पर माना है कि उसके खेत से उत्तर दिशा की ओर आम रास्ता मौके पर मौजूद है जो बांदीकुई तक जाता है एवं उक्त मुकदमे में ही दिनांक 23.08.1997 को मौका कमिश्नर द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवायी गयी थी जिसमें मौका कमिश्नर ने बताया है कि वादीगण के मकानात से पश्चिम की ओर एक पगडण्डी जा रही है जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के मकानात व जमीन पर आने जाने हेतु रास्ता मौके पर मौजूद है एवं मौका कमिश्नर महवा ने बताया कि प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में पुख्ता मकानात बने हुए हैं व मवेशी बांधने हेतु नोहरे बने हुये हैं जिससे पूर्ण रूप से साबित है कि अप्रार्थीगण की भूमि में होकर प्रार्थीगण का कोई आवागमन अब तक किसी भी प्रकार का नहीं रहा है। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि वर्तमान में रास्ता मौके पर चालू है एवं इसी रास्ते में होकर सदा से ही निकलते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य सन् 1990 से ही रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि दिनांक 29.08.1990 को प्रार्थी घनश्याम के पिता धनसीराम पुत्र मौज्याराम मीना को एक प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत प्रस्तुत किया था जिसमे सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा वार्ड पंच श्री कजोडमल गुप्ता, गिरधारीलाल मीना व लीलाराम को मौके की स्थिति देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया था जिसे बाद जांच कमेटी ने यह माना कि मौके पर खसरा सं. 1361 में पुख्ता मकान बने हुये हैं व मौके पर कोई रास्ता नहीं है फिर भी प्रार्थीगण द्वारा यह कह देना कि हम उसी रास्ते में होकर निकलते चले आ रहे हैं, गलत है। अप्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खातेदारी की भूमि में होकर कोई सरकारी आम रास्ता नहीं बना हुआ है। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि खसरा सं. 1182 में होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता मौके पर है बल्कि सही बात तो यह है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की समस्त भूमि में पुख्ता मकानात बने हुये हैं। जब मौके पर कोई रास्तां है ही नहीं तो फिर उसे बन्द करने की धमकी देने वाली बात ही कहां रह जाती है बल्कि सही बात यह है कि प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र की आड मे अप्रार्थीगण के पुख्ता रहवासी मकान को तुडवाना चाहते हैं एवं झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। मौके पर सन् 1990 से लेकर आज तक कोई रास्ता मौके पर मौजूदा ही नहीं है तो फिर उसे बन्द करने की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है एवं प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि उक्त रास्ता को पुख्ता दीवार कर बन्द कर देगें क्योंकि उक्त खसरा सं. में तो पूर्व से ही अप्रार्थीगण के पुख्ता मकानात बने हुये हैं। प्रार्थीगण ने वाद हेतुक उत्पन्न करने के लिये झूठी एवं मनगढन्त इबारत इस मद में दर्ज की है। अप्रार्थीगण की उक्त सम्पूर्ण भूमि में आबादी बसी हुई है एवं प्रार्थीगण को आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता तरफ उत्तर दिशा की ओर से जाता है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 1182 में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय रास्ता तभी दिलवा सकते हैं, जब अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी को आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं हो व जिस भूमि में होकर रास्ता चाहा गया है, वह भूमि मौके पर कृषि भूमि के रूप में उपयोग में आ रही है। चूंकि यहां पर प्रार्थीगण को आने जाने हेतु दूसरा रास्ता मौके पर मौजूद है व अप्रार्थीगण की भूमि में उनकी पुख्ता रहवास बनी हुई है, इसलिये प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 1182 में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी किसान को उसकी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसे रास्ता उपलब्ध करवाया जावेगा। यहां पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उक्त प्रकरण से पूर्व भी प्रार्थीगण ने एक मुकदमा उक्त रास्ता बाबत सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय सिविल न्यायाधीश द्वारा अंतिम आदेश पारित करते हुये यह माना है कि वादीगण धनसीराम, हीरालाल व श्रीराम को उनके खेतों के उत्तर दिशा की ओर आम रास्ता होना बताया है जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रार्थीगण को आने जाने हेतु रास्ता मौके पर मौजूद है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि खसरा सं. 1182 में मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि दिनांक 27.08.1997 को मौका कमिश्नर द्वारा सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अप्रार्थीगण की भूमि में उनकी आबादी बसी हुई है और मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है जब मौके पर कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है तो फिर उसे बन्द करने की बात ही कहां रह जाती है। प्रार्थीगण ने इस मद में सारी बातें झूठी एवं मनगढन्त दर्ज की गयी हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण को उनकी भूमि पर आने जाने

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हेतु रास्ता तरफ उत्तर दिशा की ओर मौके पर मौजूद है व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में मौके पर पूर्णरूप से आबादी बसी हुई है। इसलिये तहसीलदार बैजूपाडा से रास्ता बाबत कोई स्कीम मंगवाया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की ओर से जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व विशेष हर्जाना राशि प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.05.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में तामील से पूर्व ही अप्रार्थीगण द्वारा खसरा सं. 1182 के रास्ता की भूमि में जबरन पुख्ता निर्माण कर दिया है। इस कारण अब उक्त भूमि में होकर रास्ता दिया जाना संभव नहीं होगा। तहसीलदार बैजूपाडा ने वहां पर स्थाई निर्माण को देखकर यह बताया है कि यहां होकर अब रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रकरण में अब प्रार्थीगण द्वारा चाही गई रिलीफ को खसरा सं. 1182 के स्थान पर खसरा सं. 1176, 1177, 1178 में होकर दिये जाने हेतु उक्तानुसार उक्त प्रार्थना पत्र में संशोधन किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में खसरा सं. 1182 के स्थान पर खसरा सं. 1176, 1177 एवं 1178 में होकर 20 फीट चौडाई का खसरा सं. 1113 तक की लम्बाई का रास्ता अप्रार्थीगण को दिलायें। प्रार्थीगण की रिलीफ को एवं उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा सं. 1182 के स्थान पर खसरा सं. 1176, 1177, 1178 में मानकर उक्तानुसार संशोधन किये जाने के आदेश करें। इस प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की विधिवत सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा तदनुसार संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार मण्डावर द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 प्रस्तुत की गई कि आराजी खसरा सं. 1100, 1111, 1112, 1113, 1109, 1110, 941, 942, 1101, 1103, 1104 ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित भूमि प्रार्थीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वाद में अकित खसरा सं. 1182 की किस्म गैर मु. चाह है तथा इस खसरे में आवासीय मकान होने के कारण रास्ता दिया जाना सभंव नहीं है। वादी को अपनी खातेदारी तक पहुंचने हेतु खसरा सं. 1176, 1177, 1113 मे से होकर रास्ता (खसरा सं. 1176 में से 246 वर्ग मी., 1177 में से 264 वर्ग मी., 1113 में से 438 वर्ग मी., कुल किता 3, रकबा 948 वर्ग मी. जिनकी लम्बाई 158 मी. तथा चौडाई 6 मी. है) दिये जाने की अनुशंषा की गयी है। उपरोक्त वर्णित खसरो के अलावा अन्य खसरो से कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। उक्त खसरों में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं है।

तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 पर अप्रार्थी सं. 1 से 16 के अभिभाषक ने आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रार्थी को खसरा सं. 1113, 1176, 1177 में होकर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। खसरा सं. 1176 में जिस स्थान पर प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, वहॉ पर अप्रार्थीगण की एक बोरिंग लगी हुई है जिससे अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सिंचाई करते हैं एवं इसी स्थान के पास ही एक करीब 20–25 वर्ष पुराना पीपल का पेड मौके पर मौजूद है जिन्हें पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण से साजकर मौका जॉच रिपोर्ट में नहीं दिखाया है जबकि खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

सं. 1176 में जिस जगह पर रास्ता देना प्रस्तावित किया गया है, उस स्थान पर एक बोरिंग व 20–25 वर्ष पुराना पीपल का पेड मौके पर मौजूद है। इसलिए पटवारी हल्का व तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत की गयी मौका जॉच रिपोर्ट को निरस्त किया जाकर न्यायालय स्वयं मौके की स्थिति देखकर मोका रिपोर्ट मंगवायें।

अप्रार्थी सं. 1 से 16 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के जवाब में प्रार्थीगण अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तावित मार्ग पर कोई भी निर्माण यथा – बोरिंग, पीपल का पेड़ नहीं है। इसलिए आपत्ति को खारिज किया जाकर रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जायें। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट में उल्लिखित है कि प्रस्तावित रास्ते पर खसरों में वर्तमान में कोई निर्माण कार्य नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 से 16 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज किया गया।

पत्रावली का, तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान है कि :

251–क. *अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन विछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहाँ*

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जाँच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि–

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, वहाँ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे ।

तहसीलदार बैजूपाडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.25 से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेतों तक पहुँच के लिए खसरा सं. 1176, 1177, 1113 के अतिरिक्त अन्य खसरों से कोई नजदीकी वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत तक पहुँचने के लिए खसरा सं. 1176, 1177, 1113 से चाहे गये मार्ग की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है। इसलिये तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित खसरा सं. 1176, 1177, 1113 से रकबा 948 वर्ग मी. (कुल लम्बाई 158 मी. तथा चौडाई 6 मी.) प्रार्थीगण को अपने खेत तक पहुँचने के लिए मार्ग दिया जाना उचित है। उक्त रकबा 948 वर्ग मी. के लिए राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा की गई सिफारिश अनुसार कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाना है। इसलिए प्रस्तावित रास्ते का रकबा 948 वर्ग मी. के लिए डी.एल.सी. दर (रुपये 11,00,000/– प्रति हैक्टे.) के आधार पर प्रतिकर रुपये 208560/– प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिया जाना विधिसम्मत है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बैजूपाडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2025 के अनुसार, प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा सं. 1112 ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा में आवागमन के लिए खसरा सं. 1176, 1177, 1113 ग्राम हिंगोटा तहसील बैजूपाडा में से होकर रास्ता (खसरा सं. 1176 में से 246 वर्ग मी., 1177 में से 264 वर्ग मी., 1113 में से 438 वर्ग मी., कुल रकबा 948 वर्ग मी., कुल लम्बाई 158 मी. तथा चौडाई 6 मी., मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट नजरी नक्शा) को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अंकित करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के प्रतिकर की राशि 208560/– (अक्षरे दो लाख आठ हज़ार पांच सौ साथ रुपये) प्रार्थीगण तहसील कार्यालय बैजूपाडा में जमा करें तथा तहसीलदार बैजूपाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करें व अप्रार्थीगण खातेदारों को प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु सूचित कर उन्हें राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्सों के अनुसार भुगतान करें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)